

राज० सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प०क० सेवायें, राज० जयपुर

क्रमांक/ई/राजप/सू०अ०-०५/एफ-३८५(१५)/२०१७/  
वास्ते

दिनांक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारों।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारों।

विषय	सूचना के अधिकार अधिनियम-०५ के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को वार्षिक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
संदर्भ	निदेशालय के पूर्व पत्रांक १०४९ दिनांक ७.७.१७ एवं १०७१ दिनांक १४.७.१७ के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय सूचना आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार समस्त वार्षिक रिपोर्ट माननीय सूचना आयुक्त के कार्यालय प्रस्तुत करें। संज्ञित। उपरोक्तानुसार।

लोक सूचना अधिकारी,  
एवं

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जयपुर, राज०।

क्रमांक/ई/राजप/सू०अ०-०५/एफ-३८५(१५)/२०१७/११३६  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक २०/७/१७

- श्रीमान उप पंजीयक, राज० सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राज० जयपुर।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि वह उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

लोक सूचना अधिकारी,  
एवं

निदेशक (जन स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जयपुर, राज०।

वर्ष 2017  
156317  
29/6/17

DSCC/MAY

### राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर-302017  
(फोन एवं फैक्स नं० 0141-2719136)

क्रमांक 3(1)/रा.सू.आ./वा. प्रति./2017/32230-32237 दिनांक :- 12/6/2017

शा. सचिव  
वि. वि. सा. वि. वि. विभाग Dak: 0508...Pr. Sec./M&H/2017

Date: 23.6.17

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है जिसके लिये धारा 25(3) के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है।

अतः निवेदन है कि निर्धारित प्रारूप-I व II में सूचना अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों से प्राप्त कर इन्हें आपके स्तर पर ही इकजाई करने के पश्चात् आयोग को 31 जुलाई, 2017 तक भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

### प्रारूप- 1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निस्तारित आवेदन

समयावधि वर्ष 2016-2017

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य	समयावधि में	समयावधि पश्चात			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

नोट : कॉलम 1= 2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7= 1

### प्रारूप- 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी..... विभाग .....समयावधि वर्ष 2016-2017

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित (संख्या)
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1.	2.	3.	4.

नोट : कॉलम 1= 2+ 3 + 4

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय  
सचिव  
राजस्थान सूचना आयोग,  
जयपुर